न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 52/2017 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2017/00208

उनवान

1. रामेश्वर
2. रामनाथ
} पिसरान हीरा सिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम परसौंदा तहसील व जिला धौलपुर।
3. पूरन सिंह पुत्र जनक सिंह
4. रामवकील पुत्र पहाड सिंह
} जाति गुर्जर नि0 ग्राम विराजपुरा तह0 व जिला धौलपुर।

..................अपीलाण्ट

बनाम

1. ओमप्रकाश
2. जगदीश
} पिसरान ग्यासीराम जाति ब्राहम्ण नि0 कैलाशपुरा तहसील व जिला धौलपुर।

.... असल रैस्पोडेण्ट

3. रामश्री उर्फ रामेश्वरी पत्नी स्व0 होतीलाल
4. गंगाराम
5. राधेश्याम
} पुत्रगण होतीलाल
} जाति ब्राहम्ण नि0 कैलाशपुरा तह0 व जिला धौलपुर।
6. गंगादेई पुत्री होतीलाल जाति ब्राहम्ण नि0 ग्राम विरोधा तह0 व जिला धौलपुर।
7. कमला पत्नी मान सिंह
8. राजाबेटी पत्नी महावीर सिंह
} जाति नाई नि0 कैलाशपुरा तह0 व जिला धौलपुर।
9. गोपालप्रसाद पुत्र हुब्बलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम कैलाशपुरा तह0 व जिला धौलपुर।
10. भौती वेवा रामप्रसाद
11. पूरन सिंह
12. रामकिशन
13. भूरी सिंह
14. रामवरन
} पुत्रगण रामप्रसाद
} जाति ब्राहम्ण नि0 ग्राम कैलाशपुरा तह0 व जिला धौलपुर।
15. स्टेट बैंक आफॅ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा धौलपुर जरिये प्रबन्धक।
16. पंजाब नेशनल बैंक शाखा मुरैना जरिये प्रबन्धक।
17. सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा राजाखेडा जरिये सचिव।
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर।

.... तरतीवी रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 30.05.2016 प्रकरण संख्या 90/12 उनवान ओमप्रकाश बनाम रामश्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर।

अभिभाषकगण :–

1. श्री गोविन्द सिंह डागुर अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित।
2. अभिभाषक रैस्पो0 अनुपस्थित ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

निर्णय

दिनांक :–04.10..2021

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के निर्णय दिनांक 30.05.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/असल रैस्पो0 ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट एवं तरतीवी रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वादपत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम कैलाशपुरा तहसील व जिला धौलपुर में वादीगण/असल रैस्पो0 व प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट व तरतीवी रैस्पो0 संयुक्त खातेदार काश्तकार हैं। वादग्रस्त आराजी का अभी कोई विभाजन नहीं हुआ है। करीब 5 दिन पूर्व प्रतिवादी/अपीलाण्ट व तरतीवी रैस्पो0 ने विवादित आराजी पर नींव खुदाई करनी चाही। वादी/असल रैस्पो0 ने ऐसा करने से रोका तो उन्होंने धमकी दी कि वे तो जहाँ चाहे निर्माण करेंगें और भूखण्डो में विक्रय करेंगे। वादी/असल रैस्पो0 ने विवादित आराजी का पहले विभाजन कराने की कहा तो वह साफ इंकारी हो गये। अतः वाद प्रस्तुत कर राजस्व रिकार्ड में अंकित हिस्सेनुसार विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन करने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2016 से मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। वक्त बहस बार–बार आवाज दिलवाये जाने के पश्चात् भी ना तो रैस्पो0 एवं ना ही उनके अभिभाषक उपस्थित आये। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को ना तो कोई सम्मन प्राप्त हुये और ना ही लेने से इंकार किया और ना ही सम्मनो की कोई जानकारी अपीलाण्ट को है। अगर किसी तामील पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय के मुताबिक तामील को मानकर एक तरफा के आदेश पारित किये गये हैं तो वह जा0दी0 के आदेश 5 के प्रावधानो के प्रतिकूल है। तहसीलदार धौलपुर द्वारा जो विभाजन प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाये गये हैं वह राजस्व मण्डल विभाजन नियम 18 से 21 के विरूद्ध होने के कारण काबिल खारिजी हैं। चूंकि तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर कोई कुरा रिपोर्ट तैयार नहीं की गयी है एवं ना ही कुरा रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व अपीलाण्ट को कोई नोटिस ही दिया है एवं ना ही सुनवाई का मौका दिया। जबकि अपीलाण्ट को सूचना दिया जाना मैन्डेटरी है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि अपीलाण्ट के साथ अन्य सहखातेदारान के नाम भी कुरा में जोड दिये गये है। जबकि सभी का अलग–अलग कुरा होना लाजिमी था। तहसीलदार द्वारा मौके का कोई नजरी नक्शा भी नहीं बनाया गया है जिससे यह साबित हो कि किस पक्षकार को कौनसा खसरा नम्बर दिया जाना है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। अन्त में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुये, प्रकरण पुनः विधिवत निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अपीलाण्ट का हस्तगत अपील में प्रमुखता से यह कथन रहा है कि अपीलाण्ट पर समुचित तामील नहीं हुयी एवं कुर्रे प्रस्ताव विधिवत नहीं है नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गयी है। हमने पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन किया हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न सम्मन पर स्पष्ट अंकित है कि अपीलाण्ट घर पर मौजूद नहीं मिले, घर वालो ने सम्मन लेने से मना किया एक प्रति खुले मकान पर चस्पा किये एवं उक्त सम्मनो पर गवाहो के हस्ताक्षर भी मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलाण्ट संख्या 01 व 02 की तामील शुदा ए0डी0 भी संलग्न हैं एवं अपीलाण्ट संख्या 03 व 04 की तलवी जरिये अखबार साया हुयी है। इस प्रकार अपीलाण्ट का यह कथन कि उनकी विधिवत तामील नहीं हुई है। सत्याभाषी नहीं कहा जा सकता। जहाँ तक अपीलाण्ट की अन्य आपत्तियों का प्रश्न है हम पाते हैं कि पत्रावली पर उपलब्ध कुर्रेजात प्रस्तावो में तहसीलदार के हस्ताक्षर तो मौजूद हैं परन्तु उक्त कुर्रे प्रस्तावो में पक्षकारों की सहमति एवं गवाहो के हस्ताक्षर अंकित नही है एवं ना ही उप विभाजित भूमि का नजरी नक्शा ही तैयार किया गया है। इसके अलावा कुरा संख्या 03 में रामश्री, गंगादेई, राधेश्याम, गंगाराम पिसरान होतीलाल व रामेश्वर, रामनाथ पिसरान हरी सिंह व रामवकील पुत्र पहाड सिंह, पूरन सिंह पुत्र जनक सिंह का एक ही कुरा बनाया गया है जबकि पृथक–पृथक कुर्रे कायम किये जाने चाहिये थे। अतः प्रस्तुत अपीलाधीन प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के प्रावधानों के अनुसार अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी व प्रत्येक कुर्रे में लगान की फैलावट आदि नियमों की पालना दृष्टिगोचर नहीं होती है। ऐसी स्थिति में न्यायहित को ध्यान में रखते हुए, हम प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उक्त नियमों की पूर्ण पालना करते हुए, विवादित आराजी में, अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी, का पक्षकारों के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार करते हुए एवं प्रत्येक हिस्से पर लगान कायम कर, पुनः कानूनसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं। लिहाजा अपील आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.05.2016 अपास्त किये जाकर, प्रकरण उपरोक्त विवेचन अनुसार, पक्षकारों की उपस्थिति में कुर्रे प्रस्ताव तैयार करते हुए एवं उक्त कुर्रे प्रस्तावों पर प्राप्त आपत्तियों की स्पष्ट विवेचना कर, विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पक्षकारो को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 11.11.2021 को उपस्थित होवें। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 04.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04-10-2021

(अखिलेख कुमार पिपल)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर